



उत्तररे लवे

कार्यालय वरि. म. वि. अभि./परि./दिल्ली Email: <u>srdeersodli@gmail.com</u> मण्डल रेल प्रबंधक कार्यालय स्टेट एंट्री रोड, उत्तर रेलवे, नई दिल्ली

No. 230/Elect/RSO/Safety Drive/2025

दिनाँक:06.02.2025

सभी मुख्य लोको निरीक्षक,

समस्त वरिष्ठ चालक दल नियंत्रक/ लॉबी,

जाखल, जींद, रोहतक, शक्र्रबस्ती, दिल्ली सराय रोहिल्ला, दिल्ली, आनंद विहार, नया खुर्जा गाजियाबाद, मेरठशहर, पानीपत, नईदिल्ली, हजरत निजामुद्दीन, तुगलकाबाद, पलवल, गढ़ी हरसरु

संरक्षा अभियान-RSOSD-04/2025

विषय: दिल्ली डिवीज़न के सभी शंटिंग स्थानों को कवर करते हुए शंटिंग सावधानियों पर विशेष अभियान। संदर्भ) :Dy. CEE/OP Letter no. 147-Elect/TRS/6/2 dt. 06.02.25.

उपरोक्त के संदर्भ में, हाल ही में शंटिंग के bad cases में यह देखा गया कि शंटिंग स्टाफ द्वारा अभी भी उचित कार्य प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप वैगन इतना पीछे चला गया कि वह पास की रोड पर पहुंच गया।

ऐसे मामलों से बचने के लिए, लोको रिनंग स्टाफ को सुरिक्षित शंटिंग मूवमेंट के लिए और अधिक संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है। जिसके तहत 15 दिनों के लिए तुरंत एक सुरक्षा अभियान शुरू किया जाना चाहिए, जिसमें निम्नलिखित पहलुओं पर विशेष जोर देते हुए सभी प्रमुख शंटिंग यार्ड को शामिल किया जाना चाहिए:

 शंटिंग को GR5.13 से 5.21 और संबंधित SR में दिए गए नियमों का सख्ती से पालन करते हुए किया जाना चाहिए, खासकर gradient sections वाले खंडों में :

GR5.13(Control of shunting):

- (1) शंटिंग संचालन को निश्चित संकेतों या हाथ के संकेतों या मौखिक निर्देश द्वारा नियंत्रित किया जाएगा।
- (2) लोको पायलट को हालांकिपूरी तरह से संकेतों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए और हमेशा सतर्क और सावधान रहना चाहिए।
- (3) शंटिंग संचालन के दौरान गति 15kmph से अधिक नहीं होनी चाहिए, जब तक कि विशेष निर्देशों द्वारा अन्यथा अधिकृत न किया जाए।

तथा

GR5.21(Loose shunting):

क्रेन, यात्री, श्रमिक, विस्फोटक, खतरनाक सामान या पशुधन वाले वाहन या कोई अन्य वाहन जो विशेष निर्देश के तहत निर्दिष्ट किया जा सकता है, को loose shunt नहीं किया जाएगा और उनके तरफ कोई loose shunting नहीं की जानी चाहिए।

- मटेशनों और यार्डों में शंटिंग संचालन के दौरान G&SR और SWR में निहित नियमों/निर्देशों का पालन और अनुपालन किया जाना चाहिए।
- III. ट्रेनों को निर्धारित मानदंडों के अनुसार उचित BPC के साथ चलना चाहिए। लोडिंग/अनलोडिंग के बाद टर्मिनलों से निकलने वाले सभी रेकों पर जीडीआर जांच।
- IV. ASM/SMS, ड्राइवरों, गार्ड और संबंधित कर्मचारियों द्वारा स्टेबलिंग, रोलिंग स्टॉक की शंटिंग, लोको बदलने के दौरान सुरक्षा के लिए उचित प्रक्रिया का उपयोग करन चहिये।
- V. यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में कर्मचारी रखरखाव/मरम्मत/कार्य निष्पादन के दौरान शॉर्टकट तरीके न अपनाएं।

- VI. शंटिंग उपकरणों जैसे झंडा, हैंडहेल्ड लैंप और वॉकी-टॉकी की उपलब्धता होनी चहिये।
- क्या शंटिंग से बचा जा सकता है या नहीं। VII.
- शंटिंग के लिये पर्याप्तकर्मचारियों की उपलब्धता औरउनके उचित प्रशिक्षण जैसे शंटिंगनियमों और प्रक्रियाओं के बारे में उचित VIII. जानकारी को स्निश्चित करना।

शंटिंग के दौरान अतिरिक्त निम्नलिखित बिन्दुओं का पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

- शंटिंग में इस्तेमाल किये जाने वाले शॉर्टकट तरीको से बचना चाहिए। सभी अधिकारियों और वरिष्ठ निरीक्षको को इस संबंध में सभी चालक दल को परामर्श देना चाहिए।
- शंटिंग के दौरान निश्चित संकेतों के अलावा हाथ के संकेत दिखाना आवश्यक है।
- iii. यदि दो या अधिक हाथ के संकेत दिखाए जा रहे हो और दोनों में से यदि कोई एक संकेत विरोधाभासी हो, तो लोको पायलट को अपनी गाड़ी को रोक देना चाहिए।
- iv. शंटिंग आदेश (T/806) तब दिया जाएगा जब किसी ट्रेन में शंटिंग करना आवश्यक हो। SM फॉर्म T/806 जारी करेगाजिस पर ट्रेन प्रबंधक और ट्रेन के लोको पायलट द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।
- v. जब शंटिंग की अनुमित है, तो फॉर्म T/806 TM/shunting supervisor और लोको पायलट को जारी किया जाना चाहिए, जिसमें इस फॉर्म पर निम्नलिखित बिंदुओं का विशेष रूप से उल्लेख किया गया हो और दोनों की पावती प्राप्त की गई हो।
 - a. Limitsofshunting.

vi.

- b. Detailsofworktobedone.
- Runninglineandotherlinesinvolvedinthemovement.
- d. Approximatetimeuptowhichshuntingistobecompleted.
- शंटिंग गतिविधियों की निगरानी सक्षम प्राधिकृत शंटिंग स्टाफ द्वारा की जानी चाहिए।
- vii. जब भी कोई शंटिंग की जानी हो, तो सभी पॉइंट्सको सही ढंग से सेट किया जाना चाहिए और सामने वाले पॉइंट्स को लॉक किया जाना चाहिए।
- viii. यदि शंटिंग गतिविधियों को शंट सिग्नल या स्टार्टर सिग्नल द्वारा नियंत्रित किया जाता है जो सामने वाले पॉइंट्स का पता लगता है, तो सामने वालेपॉइंट्सको सुरक्षित करने के लिए शंट सिग्नल या स्टार्टर सिग्नल को "ऑफ" कर दिया जाना चाहिए।
- ix. यदि शंटिंग किसी लेवल क्रॉसिंग के पास या उस पार की जाती है, तो लेवल क्रॉसिंग को बंद कर दिया जाना चाहिए और सड़क यातायात के लिए लॉक कर दिया जाना चाहिए।
- x. coupled engine के साथ शंटिंग की अनुमति नहीं है सिवाय इसके:
 - a. जब एक पूरी ट्रेन को एक लाइन से दूसरी लाइन पर शंट करना हो।
 - b. जब शंट किए जाने वाले लोड को ढाल के कारण अकेले इंजन द्वारा नहीं खींचा जा सके ।
- xi. जब तूफानी मौसम में शंटिंग करनी हो, तो इसे यथासंभव कम लाइनों तक सीमित किया जाना चाहिए।
- xii. सिंगल बॉक्स और BOB प्रकार के बोगी-वैगनों की अधिकतम शंटिंग गति 5 से 6kmph की सामान्य शंटिंग गति तक सीमित है और जब दो या अधिक बॉक्स या BOB वैगनों को ट्रांजिशन कपिलेंग के साथ जोड़ा जाता है, तो शंटिंग गित लगभग 2kmph की बहुत धीमी गति से चलने के अनुरूप होनी चाहिए।
- xiii. जब मेल/एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनों पर कोच जोड़ने या अलग करने के लिए शंटिंग की जानी हो, तो शंटिंग इंजन को कपिलंग के लिए ट्रेन से 20 मीटर पहले रुकना चाहिए।
- xiv. तीव्र ढलानों पर लाइन के एक हिस्से पर शंटिंग के मामले में, जो न तो अलग हो और न ही स्लिप साइडिंग द्वारा संरक्षित हो, डाउन ग्रेडिएंट वाले हिस्से की ओर भीइंजन लगाया जाना चाहिए ।
- xv. जोड़े जाने वाले या अलग किए जाने वाले वाहनों की सभी शंटिंग ट्रेन के प्रभारी गार्ड की व्यक्तिगत देखरेख में की जानी चाहिए।
- xvi. यात्रियों से भरे कोचों की शंटिंग के मामले में या आपातकालीन क्रॉस ओवर पर शंटिंग के दौरान, फेसिंग पॉइंट्स को क्लैंप किया जाना चाहिए और पैंड लॉक किया जाना चाहिए। गैर-इंटरलॉक किए गए यार्ड में डिफेक्टिव पॉइंट्स, यदि किसी भी तरह से सेट किए गए हैं, तो किसी भी ट्रेन की आवाजाही की अनुमित देने से पहले उन्हें क्लैंप किया जाना चाहिए और पैडलॉक किया जाना चाहिए।
- xvii. ब्लॉक सेक्शन में शंटिंग की अनुमति देते समय, लोको पायलट को ब्लॉक वर्किंग मैनुअल में दिए गए अनुसार ब्लॉक बैक करने और ब्लॉक फॉरवर्ड करने के अलावा नियमों में निर्धारित एक प्राधिकार दिया जाएगा।
- XVIII. गाड़ी को बैंक करते समय हमेशा लाइन capacity का ध्यान रखे तथा कितना लोड बैंक कर रहे हैं यह भी जानकारी रखे ताकि पीछे डेड स्टॉप से पहले गाड़ी को रोका जा सके।

Date	Name of	Name of the Yard	Total No. of staff Counseled			Total no. of inspections conducted	Total no. of abnormalities/ irregularities observed	Details of abnormalities/ irregularities	Action Taken
			LP	LPS	ALP				
,									

सभी लोको निरीक्षक द्वारा तुरन्त प्रभाव से 15 दिनों के लिए एक संरक्षा अभियान 07.02.25 से 21.02.25 तक चलाये एवं सभी नामित/गैर-नामित रिनंग कर्मचारियों को उक्त मदों पर काउन्सिल करें व एम्बुश चेक करें । दैनिक निरीक्षण रिपोर्ट (yard wise) उपरोक्तप्रारूप के अनुसार प्रातः 08:00 बजे तक इस कार्यालय को भेजी जानी चाहिए ताकि रेलवे बोर्ड को आगे प्रस्तुत की जा सकें । अभियान के पूरा होने पर अनियमितताओं और की गई सुधारात्मक कार्यवाही पर विस्तृत रिपोर्ट 21.02.2025 तक इस कार्यालय कोभेजें ।

वरिष्ठ मण्डल विद्युत अभियन्ता/परिचालन/दिल्ली

प्रतिलिपि:

- PS to DRM for kind information of DRM please.
- CELE/NR, CRSE/Fr./NR, NDBH.
- ADRM/OP.
- Sr.DSO/DLI.
- DEE/RSO/DLI & ADEE/RSO/DLI.
- Principal ETC/ GZB, Principal DTC/TKD, Principal RSTC/Shakurbasti.
- CLI/BTC/TKD, CTC/NDLS Control.

Northern Railway

NRHQ Special SD no.10 No.147-Elect/TRS/6/2 Headquarters Office, Baroda House, New Delhi-110001. Dated:06.02.2025

Sr. Divnl Elect. Engineer/RSO/OP, Northern Railway, D.R.M. Office, FZR, UMB, NDLS, MB & LKO Sr.DEE/Traction JAT.

Sub: Special Drive on Shunting Precautions covering all shunting locations of Northern Railway.

It is noticed from recent bad case of shunting where proper working procedure was not followed by the staff involved in shunting which resulted in the wagon moving so far back that it reached on the nearby road.

To avoid such cases, there is a need to further sensitize the Loco Running Staff through counseling/monitoring regarding safe shunting movement.

In view of above, a safety drive is to be launched immediately for 15 days which should cover all major shunting yards with the special emphasis on the following aspects:

- Shunting should be done strictly following rules in GR 5.13 to 5.21 and associated SR especially in gradient sections.
 - GR 5.13 Control of shunting:
 - (1) Shunting operations shall be controlled by fixed signals or hand signals or by verbal direction.
 - (2) The Loco Pilot shall not, however, depend entirely on signals and shall always be vigilant and cautious.
 - (3) The speed during shunting operations shall not exceed 15 kilometers an hour unless otherwise authorized by special instructions.

and

- GR 5.21 **Loose shunting:** Cranes, vehicles containing passengers, workers, explosives, dangerous goods or live-stock or any other vehicle that may be specified under special instruction, shall not be loose shunted and no loose shunting shall be made against them.
- ii. Observance and compliance of rules/instructions as contained in G&SR and SWR during shunting operations at stations and yards.
- iii. Trains should run with proper BPC as per laid down norms. GDR checks on all rakes coming out of terminals after loading/unloading.
- iv. Implementation of proper procedure by ASM/SMS, Drivers, Guards and concerned staff for securing during stabling, shunting of rolling stock, loco changing.
- v. It must be ensured that under no circumstances staff should adopt short cut methods during maintenance/repair/work execution.
- vi. Availability of shunting equipments such as Flag, Handheld lamp and Walkie-talkie etc.
- vii. Whether shunting can be avoided or not.
- viii. Ensuring availability of adequate staff and their training regarding shunting rules and procedures.

Divisional officers are to involve themselves in the drive & effective follow up action to be taken on all the deficiencies & irregularities noticed.

Daily Counseling/inspection report (yard wise) should be sent to this office as per the following format and detailed compliance cum affirmation report on completion of the drive with irregularities and remedial action taken should be sent to this office by 21.02.2025.

Total No. of Staff counseled			Total inspection conducted		Total no. of abnormalities/ irregularities observed		Details of abnormalities/ irregularities	OI	Action taken
LP	LPS	ALP	By officers	By CLIs					

DA: as above

for Pr.Chief Electrical Engineer

Copy to:

- 1. PCEE/NR: for kind information please.
- 2. PCSO/NR: for kind information please.
- 3. CEE/Operations: for kind information please.